


२५-१२०

वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत
कर पत्रावली को पेशी के लिये जाने
काबत निवेदन करने पर पत्रावली को
पेशी में लिया जाकर प्रार्थना-पत्र हल
वाद में शामिल पत्रावली किया गया।
वादी द्वारा वाद पत्र को पेशा किया
जा चुका है अतः हल वाद पेशा होने
से दिनांक २३-०९-२०१९ को जारी
अख्तार निष्पासा को निरस्त कर
पत्रावली वर्तमान स्तर पर खारिज
की जाती है पत्रावली नम्बर सेकण्ड
की जाकर वाद तत्काल हल वाद
के साथ संलग्न है।


(कपिल यादव)
सहायक कलक्टर
एवं उपकायदागी मारी
हुक्म नं०

